यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -1, राज्य कर, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -1, राज्य कर, रुड़की** के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री एस.एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री विजय कुमार मौर्य, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.02.2021 से 06.03.2021 तक श्री आर.एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

**1 परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्रीमती रेखा व श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.02.2020 से 20.02.2020 तक श्री राज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** सिवल लाईन रुड़की तहसील एवं रायपुर इण्स्ट्रीयल एरिया।

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| **वर्ष** | **अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)** |
|---|---|
| 2017-18 | 731.36 |
| 2018-19 | 1302.03 |
| 2019-20 | 1213.45 |

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

| **वर्ष** | **Plan** | | **Non plan** | | **अधिक्य (+)** | **बचत (-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** | | |
| | | | | | | |
| लागू नही | | | | | | |
| | | | | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ₹ | प्राप्त ₹ | व्यय अधिक्य (+)₹ | बचत (-)₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नही | | | | | |

**(iii)इकाई को बजट आवंटन** राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

**(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त राज्य कर**>** उपायुक्त राज्य कर**>** सहायक आयुक्त , राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -1, राज्य कर, रुड़की** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -1, राज्य कर, रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

**राजस्व:** --------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

**व्यय:** ---------- (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व का लेखा-परीक्षा

### भाग-II (अ)

शून्य

### भाग-II (ब)

**प्रस्तर- 01 : देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.17 लाख।**

**प्रस्तर- 02 : प्रपत्र-11 का गलत लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹.17600/- की कम कर वसूला जाना।**

**प्रस्तर- 03 : विलम्ब से तिमाही जमा कर पर अर्थदंड का अनारोपण ₹1.55 लाख |**

## व्यय की लेखा-परीक्षा

### भाग-II (अ)

शून्य

### भाग-II (ब)

शून्य

**भाग 2 'ब'**

**प्रस्तर- 01 : देय कर विलम्ब से जमा करने के परिणामस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 1.17 लाख।**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हज़ार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-1, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि **09** व्योव्हारियों **(संलग्नक विवरण)** द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि **₹9,89,335/-** को विलंब से जमा किया गया था| उक्त: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार न्यूनतम **₹1,17,030/-** का अर्थदण्ड अरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया और यह भी उल्लेखित है सर्व श्री अग्रवाल एसोसिएट्स रूड़की के द्वारा वर्ष 2016-17 में जमा चालान ₹ 52536/- की मूल प्रति में जमा दिनांक अंकित नहीं पाया गया एवं डी.सी.आर से सत्यापन भी नही हो पाया था |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी|

इस प्रकार **₹ 1.17 लाख** ब्याज की वसूली न किये जाने के कारण राजस्व क्षति हुई|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

| क्रम सं | व्यापारी का नाम (सर्वश्री) | TIN सं | कर निर्धारण वर्ष | Month/Quarter | कर जमा करने की देय तिथि | कर जमा करने की तिथि | विलम्ब दिन | कर की राशि | अर्थदण्ड की दर (%) | आरोपणीय अर्थदण्ड की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वश्री भगवती इंटरप्राइजे. , रुड़की | 05013548597 | 2016-17 | Sep 2016 | 20.10.2016 | 13.12.2016 | 54 | 18000.00 | 10.00 | 1800.00 |
| | | | | Mar 2017 | 20.04.2017 | 28.04.2017 | 8 | 30000.00 | 5.00 | 1500.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | सर्वश्री अरिहंत ट्रेडर्स , रुड़की | 05006245855 | 2016-17 | Apr 2016 | 20.05.2016 | 12.07.2016 | 48 | 16372.00 | 10.00 | 1637.20 |
| | | | | May 2016 | 20.06.2016 | 02.08.2016 | 43 | 37180.00 | 20.00 | 7436.00 |
| | | | | June 2016 | 20.07.2016 | 02.08.2016 | 13 | 17786.00 | 5.00 | 889.30 |
| | | | | | 20.07.2016 | 02.09.2016 | 44 | 21690.00 | 20.00 | 4338.00 |
| | | | | Sep 2016 | 20.10.2016 | 28.11.2016 | 39 | 27007.00 | 20.00 | 5401.40 |
| | | | | Oct 2016 | 20.11.2016 | 10.12.2016 | 20 | 8256.00 | 5.00 | 412.80 |
| | | | | Nov 2016 | 20.12.2016 | 03.01.2017 | 14 | 33430.00 | 5.00 | 1671.50 |
| | | | | Jan 2016 | 20.02.2017 | 08.03.2017 | 16 | 17210.00 | 5.00 | 860.50 |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | सर्वश्री पेसिफिक डाइनामिक्स, रुड़की | 05012712554 | 2015-16 | June 2015 | 20.07.2015 | 08.08.2015 | 19 | 12405.00 | 5.00 | 620.25 |
| | | | | Dec 2015 | 20.01.2016 | 25.03.2016 | 64 | 28790.00 | 20.00 | 5758.00 |
| | | | | Mar 2016 | 20.04.2016 | 03.11.2016 | 198 | 90134.00 | 20.00 | 18026.80 |
| | | | | | 20.04.2016 | 05.11.2016 | 200 | 35000.00 | 20.00 | 7000.00 |
| 4 | भूषण लाल मेडिकोज, रुड़की | 05003942881 | 2016-17 | APRIL | 20-May-16 | 30-May-16 | 10 | 14060.00 | 5.00 | 703.00 |
| | | | | JULY | 20-Aug-16 | 23-Aug-16 | 3 | 24576.00 | 5.00 | 1228.80 |
| | | | | OCTOBER | 20-Nov-16 | 22-Nov-16 | 2 | 34613.00 | 5.00 | 1730.65 |
| | | | | NOVEMBER | 20-Dec-16 | 22-Dec-16 | 2 | 35825.00 | 5.00 | 1791.25 |
| | | | | FEBRUARY | 20-Mar-17 | 21-Mar-17 | 1 | 12643.00 | 5.00 | 632.15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARCH | 20-Apr-17 | 24-Apr-17 | 4 | 31790.00 | 5.00 | 1589.50 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | अक्समा एसोसिएट्स, रुड़की | 05014044267 | 2016-17 | Q1 | 20-Jul-16 | 27-Jul-16 | 7 | 25000.00 | 5.00 | 1250.00 |
| | | | | | 20-Jul-16 | 11-Aug-16 | 22 | 23676.00 | 5.00 | 1183.80 |
| | | | | Q2 | 20-Oct-16 | 22-Nov-16 | 33 | 35826.00 | 20.00 | 7165.20 |
| | | | | Q3 | 20-Jan-17 | 2-Feb-17 | 13 | 13388.00 | 5.00 | 669.40 |
| | | | | Q4 | 20-Apr-17 | 8-Jun-17 | 49 | 18474.00 | 10.00 | 1847.40 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | सर्वश्री अंकुर गिफ्ट कार्नर, रुड़की | 05003916982 | 2016-17 | Q2 | 20.10.2016 | 17.01.2017 | 81 | 48177.00 | 20.00 | 9635.40 |
| | | | | Q3 | 20.01.2017 | 07.02.2017 | 18 | 73238.00 | 5.00 | 3661.90 |
| | | | | Q4 | 20.04.2017 | 30.06.2017 | 71 | 56466.00 | 20.00 | 11293.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | सर्व श्री ग्रोथ एसोसिएट, रुड़की | 05007112065 | 2015-16 | Apr 2015 | 20.05.2015 | 25.05.2015 | 5 | 33489.00 | 5.00 | 1674.45 |
| | | | | Dec 2015 | 20.01.2016 | 27.01.2016 | 7 | 26048.00 | 5.00 | 1302.40 |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | सर्व श्री उमर ट्रेडिंग कंपनी , रुड़की | 05004305564 | 2015-16 | June 2015 | 20.07.2015 | 25.07.2015 | 5 | 36250.00 | 5.00 | 1812.50 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | सर्व श्री अग्रवाल एसोसियट्स, रुड़की | 05010263304 | 2016-17 | Mar 2017 | 20.04.2017 | - | - | 52536.00 | 20.00 | 10507.20 |
| | | | | | | **योग** | | **989335.00** | | **117030** |

## भाग-दो(ब)

**प्रस्तर- 02 : प्रपत्र-11 का गलत लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹.17600/- की कम कर वसूला जाना।**

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) खण्ड-1, राज्य कर रुड़की की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा में पया गया कि व्यापारी सर्वश्री पैसिफिक डाचनामिक्स, कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में ब्यापारी द्वारा प्रपत्र-11 के सापेक्ष ₹3705000/- बिक्री किया जाना स्वीकार किया था लेकिन कर निर्धारण के दौरान ₹2040000/- का ही प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना दिखाया गया जबकि ब्यापारी द्वारा मात्र ₹1160000/- लाख का ही प्रपत्र-11 प्रस्तुत किया था इस प्रकार कुल ₹2545000/- (₹3705000-₹1160000) का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था। पूर्व में रु.1665000/- पर प्रपत्र-11 का लाभ नहीं दिया गया था। जबकि ₹880000/- (₹2545000-₹1665000) पर दिया गया लाभ प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर अनुमन्य नहीं था। अतः ₹17600/- (₹880000 x अंतरीय कर 02 प्रतिशत) आरोपणीय था। तथा प्रश्नगत धनराशि पर नियमानुसार 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूलनीय है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “जांचोंपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी”।

अतः प्रपत्र-11का गलत लाभ दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹17600/- की कम कर वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग दो 'ब'**

**प्रस्तर- 03 : विलम्ब से तिमाही जमा कर पर अर्थदंड का अनारोपण ₹1.55 लाख |**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ₹ 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹ 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा|

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड-1, राज्य कर, रूड्की के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सर्वश्री ए0जी0 मेजरमेटिक्स प्रा0लि0 30,सिविल लाईन रूड्की वर्ष 2015-16 (TIN: 05003893120) के विगत वर्ष 2014-15 में व्योहरी का सकल आवर्त ₹ 2,29,92,327/- का था, और व्योहरी को नियमानुसार देय कर को मासिक जमा कराया जाना था जबकि व्यापारी द्वारा देय कर को मासिक न जमा करके तिमाही जमा कराया गया था, इसलिए देय कर की कुल राशि ₹- 15,46,420/- को विलंब से तिमाही जमा किया गया । अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ₹ 1,54,642/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कर निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष 2015-16 मे व्यापारी की कुल बिक्री ₹ 1,92,49,533/- थी | परन्तु इस बिक्री का माहवार विवरण पत्रावली में उपलब्ध नहीं था जिससे अर्थदण्ड की माहवार गणना नहीं की जा सकी | अत: देय कर पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया गया है |

विभाग माहवार बिक्री पर देय कर विलम्ब से जमा की गणना कर व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित करे |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पर इकाई ने अवगत कराया कि जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी |

इस प्रकार अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1,54,642/- का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

**राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 38/2011-12 | - | 01,02 | 01,02,03,04 |
| 26/2015-16 | - | 01,02,03,04,05,06 | 01 |
| 160/2017-18 | - | 01,02,03,04 | 01 |
| 145/2019-20 | - | 01,02,03,04 | - |

## भाग-IV

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

**(1)** राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**(2)** व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**भाग-V**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -1, राज्य कर, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| **(i)** | श्री अनन्त रजनीश, | सहायक आयुक्त<br>(विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक) |

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV**